कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर।

पत्रसंख्या- सो0मी0- स0कार्य/2022 **दिनांक 04/07/2025**

सेवा में,

पुलिस उपाधीक्षक/स्टॉफ ऑफिसर
अपर पुलिस महानिदेशक,
वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0।

कृपया पत्र संख्याः41/छः-पु-3/2020,दिनांकः04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) के परिपेक्ष्य में आप अपने पत्र संख्या सोशल मीडिया-(18/2020 का अवलोकन करें, जो पुलिस विभाग एवं उसकी अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में **दिनांक 03.07.2025** की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

01. थाना जमानिया पुलिस द्वारा 32 पेटी (1440 पाऊच) अवैध देशी शराब ब्ल्यू लाईम व एक अदद वाहन बोलेरो के साथ 01नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत दिनांक 03.07.2025 को उ0नि0 श्री अरुण पाण्डेय मय हमराह के क्षेत्र मे मामूर थे कि मुखबिर खास की सूचना पर देवढी पुलिया से आगे दाउदपुर तिराहा के पास से अभियुक्त विवेक कुमार पुत्र लल्लन राम निवासी मौनिया बिगहा (डालमिया नगर) थाना डेहरी जनपद रोहतास बिहार उम्र करीब 27 वर्ष को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से 32 पेटी में 1440 पाऊच देशी शराब ब्ल्यू लाईम 01 अदद वाहन बोलेरो न्यू नं0 BR 24AM 0286 बरामद हुआ। अभियुक्त के विरूद्ध थाना जमानियाँ गाजीपुर पर मु0अ0सं0 254/2025 धारा 60/72 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

1.विवेक कुमार पुत्र लल्लन राम निवासी मौनिया बिगहा (डालमिया नगर) थाना डेहरी जनपद रोहतास बिहार उम्र करीब 27 वर्ष

बरामदगी-

32 पेटी में 1440 पाऊच देशी शराब ब्ल्यू लाईम

01 अदद वाहन बोलेरो न्यू नं0 BR 24AM 0286

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 254/2025 धारा 60/72 आबकारी अधि0 थाना जमानिया गाजीपुर

02. थाना बरेसर पुलिस टीम द्वारा 25000/- रूपये का इनामिया वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 03.07.2025 को थानाध्यक्ष बरेसर मय हमराह द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 132/2022 धारा 3(1) उ0प्र0गैंगेस्टर अधि0 थाना बरेसर जनपद गाजीपुर से सम्बन्धित 25000 / का इनामिया अभियुक्त गुड्डु उर्फ नेऊर उर्फ सुभाष पुत्र गूंगा बनवासी निवासी ग्राम बाराचवर थाना करीमुद्दीनपुर जनपद गाजीपुर को किसान इण्टर कालेज जवाहरनगर के पास से गिरफ्तार कर, अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1 .गुड्डु उर्फ नेऊर उर्फ सुभाष पुत्र गूंगा वनवासी नि0ग्राम ग्राम बाराचवर थाना करीमुद्दीनपुर जनपद गाजीपुर, उम्र 42 वर्ष

आपराधिक इतिहास-

1 .मु0अ0सं0 92/23 धारा 174-ए थाना बरेसर गाजीपुर।
2 .मु0अ0सं0 132/22 धारा 3(1) उ0प्र0गैंगेस्टर अधि0 थाना बरेसर गाजीपुर।
3 .मु0अ0सं0 38/22 धारा 380,457,411 भादवि थाना बरेसर गाजीपुर।
4 .मु0अ0सं0 17/2010 धारा 458 भादवि थाना कासिमाबाद गाजीपुर।
5 .मु0अ0सं0 29/2010 धारा 401 भादवि थाना कासिमाबाद गाजीपुर।
6 .म0अ0सं0 13/2011 धारा 401,411 भादवि थाना शादियाबाद गाजीपुर।

03. गाजीपुर पुलिस द्वारा IS-191 गैंग के पूर्व सरगना मुख्तार अंसारी की पत्नी आफ्सा अंसारी जो कि 50,000/- रू0 पुरुस्कार घोषित फरार अपराधी है के द्वारा अपने पति स्व0 मुख्तार अंसारी क बैंक खाते मे समायोजित किये हुए धन 25 लाख 52 हजार रु0 नगद को फ्रीज करने की कार्यवाही की गयी।

शासन द्वारा चिन्हित अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत दिनांक 03.07.2025 को प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर द्वारा थाना कोतवाली, गाजीपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 667/2020 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्ता व वर्तमान में 50,000/- रू0 पुरस्कार घोषित, फरार अपराधी आफ्सा अंसारी के पति स्व0 मुख्तार अंसारी का एक बैंक खाता स0 10223036542 जो कि, स्टेट बैंक आफ इण्डिया शाखा- U.P. CIVIL SECRETARIAT-LUCKNOW की जानकारी प्राप्त हुई कि, उसमें मौजूद रूपये संदिग्ध रूप से समायोजित किये गये हैं। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली गाजीपुर द्वारा तत्काल सम्बन्धित बैंक से समन्वय स्थापित करते हुए उपरोक्त खाते में मौजूद रूपये 25 लाख 52 हजार को फ्रीज करनें हेतु नियमानुसार रिपोर्ट प्रेषित की गयी तथा खाते में मौजूद धनराशि तत्काल प्रभाव से फ्रीज करवाया गया। उपरोक्त के संदर्भ में अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

फ्रीज किये गये धन का विवरण –

अभियुक्ता आफ्सा अंसारी के पति स्व0 मुख्तार अंसारी के खाता संख्या- 10223036542 स्टेट बैंक आफ इण्डिया शाखा- U.P. CIVIL SECRETARIAT-LUCKNOW में मौजूद रूपये 25 लाख 52 हजार जो कि संदिग्ध प्रतीत होते हैं को, नियमानुसार फ्रीज किया गया है।

➡ अभियुक्ता का आपराधिक इतिहास –

1 . मु.अ.सं. 689/2020 धारा 120बी, 420, 423, 465, 467, 468, 471, 474, 477(A) भादवि थाना कोतवाली, गाजीपुर

2 . मु.अ.सं. 724/2019 धारा 379, 447 भादवि थाना कोतवाली, गाजीपुर

3 . मु.अ.सं. 667/2020 धारा 2,3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट थाना कोतवाली, गाजीपुर

4 . मु.अ.सं. 96/2023 धारा 386, 406, 420, 506 भादवि थाना कोतवाली, गाजीपुर

5 . मु.अ.सं. 404/2023 धारा 174ए भादवि थाना कोतवाली, गाजीपुर

6 . मु .अ.सं. 400/2023 धारा 120बी, 342, 386, 420 भादवि थाना कोतवाली, गाजीपुर

7 . मु.अ.सं. 725/2019 धारा 379, 447 भादवि थाना कोतवाली, गाजीपुर

8 . मु.अ.सं. 272/2022 धारा 419,420,467,468,471 भादवि व 3/4 सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधि0 थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर

9 . मु.अ.सं. 227/2021 धारा 3/5 सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधि0 व 447 भादवि थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर

पुलिस अधीक्षक
गाजीपुर